www.researchvidyapith.com ISSN (Online): 3048-7331

**Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal**

**(An Open Access, Peer-reviewed & Refereed Journal)**

(Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage)

*** Vol-1* *Issue-3* *October 2024***

# महिला विवाह की आयु एंव कुपोशण एक समाजशास्त्रीय अध्ययनः विश्लेषण

*संध्या वरूण*

*शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर*

*प्रो0 संगीता पाण्डेय*

*आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर*

**सरांश**– भारत एक विशाल जनसंख्या वाला राष्ट्र है यह किसी भी देश की तुलना में अधिक अविकसित बच्चों का घर है और किशोर गर्भावस्था के बोझ का समना करने वाले शीर्ष 10 देशों में से एक है। 'अन्तर्राष्ट्रीय खाद नीति अनुसंधान संस्थान' 'आईएफपीआरआई' के एक नए अध्ययन के अनुसार बाल विवाह अवैध होने के बवजूद भारत में 31प्रतिशत विवाहित महिलाएं नाबालिक होते हुए भी बच्चे को जन्म देती है और उनके बच्चों के कुपोषित होने की संभावना, वयस्को से जन्में बच्चो की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक होती है। कुपोषण के महत्वपूर्ण कारको में कम आयु में विवाह एक प्रमुख कारक है, जो कुपोषण की स्थिति उत्पन्न करने में अत्यधिक सहायक है। 'आईएफपीआरआई' द्वारा विश्लेषण किए गए भारत के 60,096 मातृ शिशु जोङों में से 14,107 महिलाओं (लगभग 25 प्रतिशत) ने पहली बार किशोरावस्था के दौरान बच्चे को जन्म दिया तथा वयस्क माताओं से पैदा हुए बच्चों में स्टंटिग और कम वजन का प्रसार 10 प्रतिशत अंक से अधिक था। प्रस्तुत शोध पत्र में महिलाओं के कम आयु, विवाह एंव कुपोषण के बीच संबध को ज्ञात करना है तथा कुपोषण की स्थिति उत्पन्न करने में कम आयु में विवाह किस प्रकार अपना प्रभाव डालती है? यह जानने का प्रयास किया गया है।

**शब्द संकेत**– बाल विवाह, ग्रामीण महिलाएं, मातृ पोषण, स्वास्थ्य।

**प्रस्तावना**– कुपोषण विकसित व विकासशील देशों के लिए स्वास्थ्य एंव पोषण की स्थिति एक गंभीर समस्या व चुनौति बनी बनी हुई हैं। कुपोषण एक लंबे अंतराल तक संतुलित आहार न प्राप्त हो पाने के कारण उत्पन्न होता है। कुपोषण एक लंबे अंतराल तक संतुलित आहार न प्राप्त होने के कारण उत्पन्न होता हैं, जिसमें मुख्य कारक (शिक्षा, गरीबी, सामाजिक मान्यताएँ, सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि) में से महिलाओं में कम उम्र में विवाह एक महत्वपूर्ण कारक हैं। कुपोषण की स्थिति समझने हेतु उससे जुङे विभिन्न मुद्दो के समाधान के लिए कुपोषण से जुङे जटिल सामाजिक पहलुओं को मूल स्वरूप में चिन्तन करना अनिवार्य हैं। कुपोषण माँ के गर्भ में ही प्रारम्भ हो जाता हैं, जिससे महिलाओं व बच्चे दोनो में प्रतिरोधक क्षमता का संचार निम्न हो जाता है, जिसके कारण अन्य संवेदनशील बीमारियों से ग्रसित हो जाती हैं। 'To Solve Child Malnutrition India must First target Child marriage', के सह– लेखक 'सैमुअल स्कॉट' ने लिखा है, कि ''किशोर गर्भावस्था और बच्चे के विकास में रूकावट के बीच सबसे मजबूत संबध शिक्षा, उसकी सामाजिक– आर्थिक स्थिति और उसके वजन के माध्यम से था।''

भारत में महिलाओं के लिए 18 वर्ष की आयु से पहले विवाह करना गैर कानूनी है, लेकिन 2016 के राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के अनुसार, लङकियों की एक बङी संख्या का विवाह उनके 18वें जन्मदिन से पूर्व कर दी जाती है और उनमें तो अधिकांशतः 18 वर्ष की आयु तक के बच्चे को जन्म भी दे देती है तथा छठ्वे रिपोर्ट के नवीनतम आँकङो से ज्ञात होता है कि 15–19 वर्ष की आयु की 7 प्रतिशत भारतीय लङकियाँ पूर्व में ही गर्भवती हो चुकी है, इस आयु वर्ग में 5 प्रतिशत मृत बच्चे को जन्म दिया।

उपरोक्त आँकड़े स्पष्ट कर रहे कि कम आयु में विवाह कुपोषण की स्थिति भयावह बना रही।

**अध्ययन का उद्देश्य**– प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

1. अध्ययन क्षेत्र की चयनित महिलाओं की विवाह के समय आयु क्या थी? ज्ञात करना।
2. महिलाओं में कम उम्र में विवाह एंव कुपोषण के बीच क्या संबध है, ज्ञात करना।
3. महिला विवाह की आयु 18 वर्ष से पूर्व होने के क्या कारक थे? इसका अध्ययन करना।

अध्ययन का महत्व :– प्रस्तुत शोध पत्र में कुपोषण व कम आयु में विवाह को चुनौतिपूर्ण स्थिति को स्पष्ट कर रहीं, कम आयु में विवाह होने के कारण महिलाओं में अनेक प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न हो जाती है, चूंकि 14–18 वर्ष में किशोंरियों में विविध प्रकार के शारीरीक बदलाव उत्पन्न होते है जिससे उनका शरीर अभी काफी कमजोर होता है और इस अवस्था में विवाह हो जाने के उपरान्त गर्भधारण कर लेने के कारण वह अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाती है, उपरोक्त कारण महिला एंव बाल स्वास्थ्य की स्थिति को प्रभावित करती है। सरकार द्वारा कुपोषण की स्थिति को सुधारने हेतु प्रयासरत् है। जिसमें मातृ व शिशु के स्वास्थ्य हेतु काफी योजनाओं को संचालित कर रही है किन्तु कुपोषण के इन्हीं प्रमुख कारको के कारण कुपोषण उन्मूलन में बाध ाा उत्पन्न हो रही है। जिन्हें इन कारको में सुधार करके व इन्हें दूर करके ही कुपोषण उन्मूलन किया जा सकता है।

**पद्वतिशास्त्र**– प्रस्तुत अध्ययन में उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के 14 विकासखण्डों में से दैव निर्देशन के द्वारा बस्ती सदर विकासखण्ड का चयन किया गया, पुनः दैव निर्देशन के माध्यम से बस्ती सदर विकासखण्ड के ग्राम गणेशपुर का चयन किया, अध्ययन पर उद्देश्यपूर्ण निर्देशन के माध्यम से 50 उत्तरदाता का चयन किया गया एंव सक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से आँकडों का संकलन किया गया।

कुपोषण से ग्रसित महिलाओं के विवाह के उम्र के स्वरूप का विवरण

| क सं0 | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | अच्छा लड़का मिल जाने के कारण | 5 | 20.83 |
| 2. | सामाजिक दबाव | 5 | 20.83 |
| 3. | भाईयों में अकेली होने के कारण | 3 | 12.5 |
| 4. | परम्परावादी सोच | 4 | 16.66 |
| 5. | घर में बड़ी होने के कारण | 3 | 12.5 |
| 6. | परिवारिक परम्परा का दबाव | 4 | 16.66 |
| | कुल | 24 | |

**विश्लेषण**– हमारे अध्ययन के विश्लेषण से स्पष्ट होता है, कुपोषित बच्चों की माताओं में जिनका विवाह 18 वर्ष से कम उम्र में हुआ, उनकी संख्या सबसे अधिक (48 प्रतिशत)

है तथा 17 उत्तरदाता ऐसी थी जिनका विवाह 18–22 वर्ष में हुआ, उनका प्रशित 34 था, वहीं 12 प्रतिशत ऐसी उत्तरदाता जिनका विवाह 22–26 वर्ष थीं, तथा 26–30 वर्ष की आयु जिन उत्तरदाता की थी, उनकी संख्या कम होते– होते 4 प्रतिशत हो गई थी, 35 से अधिक वर्ष में विवाह करने वाली महिलाओं की संख्या मात्र 2 प्रतिशत है।

इस प्रकार शोध में 48 प्रतिशत उत्तरदाता वैधानिक आयु से कम में उद्भासित प्रकट कर रहा हैं कि पूर्व में किए गए अध्ययनों में भी यह स्थिति पाई गई थी, 'अनिता राज, निरंजन सग्गुरती' ने 2010 में भारत में 5 वर्ष से कम उम्र में बच्चों की रूग्णता और मृत्यु दर पर मातृ बाल विवाह का प्रभाव : राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि नमूने का क्रास–अनुभागीय अध्ययन में भारत में मातृ बाल विवाह (18 वर्ष से पहले विवाह) औश्र शिशुओं और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की रूग्णता और मृत्युदर के बीच संबधों का आकलन किया गया, जिसमें 15 7 49 वर्ष की महिलाओं, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–3 के माध्यम से 2005–06 में डाटा एकत्र किया गया। जिसमें अधि ाकांश 73 प्रतिशत माताओं का विवाह नाबालिक के रूप में हुई थी।

इसी तरह श्रंहतंद समाचार रिपोर्ट 2019 में प्रकाशित चन्दौली जिले के 'वनवासी बाहुल्य क्षेत्र में' एक दर्जन गाँव का सर्वे किया गया, जिसके तहत दो वर्षो में 86 प्रतिशत बाल विवाह हुए थे, जिसमें 60 प्रतिशत वनवासी समाज समाज के बच्चे कुपोषण के शिकार हुए है।

उपरोक्त दोनों रिसर्च से स्पष्ट होता है कि वैधानिक उम्र से पहले विवाह के आँकड़े अधिक है,

लड़कियों में कम उम्र में विवाह के कारण

1. अच्छा लड़का मिल जाने के कारण
2. सामाजिक दबाव
3. भाईयों में अकेली होने के कारण
4. परम्परावादी सोच
5. घर में बङी होने के कारण
6. परिवारिक परम्परा का दबाव

उपरोक्त लङकियों में कम उम्र में विवाह के कारण को निम्न बिन्दुओं के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते है–

1. घर की बङी थी, इसलिए विवाह शीघ्र कर दिया गया।
2. लङका अच्छा मिल गया, इसलिए शादी शीघ्र कर दी गई।
3. गाँव, समाज के कारण की आपकी बेटी बङी हो गई है।
4. अरे! हमारे समय में कम उम्र में ही विवाह कर दिया जाता था, सब लोग मानते थे कि जल्दी विवाह हो जायेगा तो बच्चे होने में परेशानी नहीं होगी।
5. घर में भाईयों में अकेली थीं तो माता–पिता अपने बच्चों की जल्दी शादी कर देते थे और जिनके बच्चों की शादी में विलम्ब होता था, लोग उन्हें उलहाना देकर तरह–तरह की बाते बनाते थे इसलिए हमारे माँ–बाप ने हमारे शादी जल्दी कर दीं।

**निष्कर्ष**– कुपोषण एक विश्वव्यापी समस्या है, जिसका उन्मूलन करना अति आवश्यक है, विश्व स्तर पर इसके समाधान हेतु प्रयास करना अतिआवश्यक है, किन्तु जब तक हम इनके कारको को समझ कर सुधार नहीं करेगें, तब तक हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पायेंगे, सरकार ने 18 वर्ष से पूर्व विवाह को अपराध माना हैं, किन्तुलोग कम उम्र की किशोरियों की उम्र अधिक बता के इनका विवाह 18 वर्ष से पूर्व ही कर देते है। शीघ्र विवाह करनेके कारणें में समाज की प्रथाएँ, मनोवृत्तियों लङकियों को बोझ मानना आदि शामिल है, जिसका दंश उन मासूम किशोरियों को झेलना पङता है, जब तक समाज अपनी सोच को नहीं बदलेगा, तब तक सरकार द्वारा अनग्निंत योजनाएँ शिथिल ही साबित होगीं।

## Author's Declaration:

I/We, the author(s)/co-author(s), declare that the entire content, views, analysis, and conclusions of this article are solely my/our own. I/We take full responsibility, individually and collectively, for any errors, omissions, ethical misconduct, copyright violations, plagiarism, defamation, misrepresentation, or any legal consequences arising now or in the future. The publisher, editors, and reviewers shall not be held responsible or liable in any way for any legal, ethical, financial, or reputational claims related to this article. All responsibility rests solely with the author(s)/co-author(s), jointly and severally. I/We further affirm that there is no conflict of interest financial, personal, academic, or professional regarding the subject, findings, or publication of this article.

## सन्दर्भ ग्रन्थ सूची


1. P. Paul, 'Impact of Child marriage on nutritional status and anemia of children under 5 year of age: empirical evidence from india, Public Health, Dec, 2019.
2. Bhattacharya, Ananya, 'To solve Child malnourishiment, india must first target child marriage, quartz, july 21,2022.
3. दास तनिमा 'पश्चिम बंगाल के उपनगरीय और शहरी दोनो की महिलाओ की पोषण स्थिति पर बाल विवाह का प्रभाव, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ, खंड 8, अंक 1, जनवरी 2021.
4. सेठी वाणी व अन्य, 15–24 वर्ष की विवाहित भारतीय महिलाओ की पोषण स्थितिः दशकीय रूझान, भविष्यवक्ता और कार्यक्रम के निहितार्थ, अकादमिक जर्नल लेख, 1 अगस्त 2025.

5. drishtiias.com

## Cite this Article-

*'प्रो0 संगीता पाण्डेय', "महिला विवाह की आयु एंव कुपोशण एक समाजशास्त्रीय अध्ययनः विश्लेषण", Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal (RVIMJ), ISSN: 3048-7331 (Online), Volume:1, Issue:10, October 2024.*

**Journal URL-** https://www.researchvidyapith.com/

**DOI-** 10.70650/rvimj.2024v1i3009

**Published Date-** 08 October 2024